इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101] भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 मार्च 2019—फाल्गुन 15, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019

क्र. 4062-69-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4 मार्च, 2019 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् २०१९

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) अधिनियम, २०१९

[दिनांक 4 मार्च, 2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 6 मार्च, 2019 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

३१ मार्च, २००५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थीं, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) अधिनियम, २०१९ है.

३१ मार्च, २००५ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रुपये ८३,६६,१८,११७ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग (रुपये तिरासी करोड़ छियासठ लाख अठारह हजार एक सौ सतरह) होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, २००५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २००५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का क्रमांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) आधिक्य		
		मतदत्त	भारित	योग
		रुपये	रुपये	रुपये
०६.	वित्त	२,५९,३१,८६७	०	२,५९,३१,८६७
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	३,६४,२८,३५३	०	३,६४,२८,३५३
२४.	लोक निर्माण (सड़क तथा पुल)	१३,७७,२६,६३५	०	१३,७७,२६,६३५
३०.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	५०,०००	०	५०,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	**रुपये**	रुपये
५९.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
५९.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	३२,९३,२०,०००	०	३२,९३,२०,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	२९,००,०००	०	२९,००,०००
६७.	लोक निर्माण भवन	२४,८७,२०,२८८	०	२४,८७,२०,२८८
७८.	नर्मदा घाटी विकास से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	४,६९,५४३	०	४,६९,५४३
८४.	राजस्व विभाग से संबंधित ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन	३,९७,८४,८८३	०	३,९७,८४,८८३
८६.	जेल विभाग से संबंधित ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन	११,०२,५११	०	११,०२,५११
९२.	संस्कृति विभाग से संबंधित ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन	१,०००	०	१,०००
९४.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	३५,५७,१९४	०	३५,५७,१९४
४५.	जल संसाधन		**३,३३,६३६**	३,३३,६३६
६७.	लोक निर्माण भवन		**२,९२,२०७**	२,९२,२०७
	योग :	८३,५९,९२,२७४	**६,२५,८४३**	८३,६६,१८,११७

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019

क्र. 4062-69-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 3 OF 2019

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 2) ACT, 2019

[Received the assent of the Governor on the 04th March, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th March, 2019.]

An Act to provide for the authorization of appropriation of money out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of the March, 2005 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 2).Act, 2019

Issue of Rs. 83,66,18,117 out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet certain excess expenditure for the year ended on 31st March, 2005.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Eighty three crores sixty-six lakhs eighteen thousands one hundred seventeen rupees shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount.

Spent on defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the said Schedule during the financial year ended on the 31st day of March, 2005 in excess of the amounts granted for those services and that year.

Appropriation.

3. The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year ended on the 31st day of March 2005.

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

(1) No. of vote	(2) Service and purpose	(3) Excess Voted	Charged	Total
		Rs.	**Rs.**	Rs.
06.	Finance	2,59,31,867	**0**	2,59,31,867
19.	Public Health and Family Welfare	3,64,28,353	**0**	3,64,28,353

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	**Rs.**	Rs.
24.	Public Works road and Bridge.	13,77,26,635	**0**	13,77,26,635
30.	Rural Development	50,000	**0**	50,000
59.	Externally Aided Project Pertaining to Rural Development	1,00,00,000	**0**	1,00,00,000
59.	Externally Aided Project Pertaining to Rural Development	32,93,20,000	**0**	32,93,20,000
66.	Welfare of Backward Classes	29,00,000	**0**	29,00,000
67.	Public Works-building	24,87,20,288	**0**	24,87,20,288
78.	Nabard Aided Project Pertaining to Narmada Valley Development Water Resources	4,69,543	**0**	4,69,543
84.	Upgradation of Standards of Administration Commission-Revenue	3,97,84,883	**0**	3,97,84,883
86.	Upgradation of Standards of Administration Commission-Jail.	11,02,511	**0**	11,02,511
92.	Upgradation of Standards of Administration Commission-Culture	1,000	**0**	1,000
94.	Expenditure Pertaining to Simhasth Mela, 2004	35,57,194	**0**	35,57,194
45.	Minor Irrigation Works		**3,33,636**	3,33,636
67.	Public Works-building		**2,92,207**	2,92,207
	Total :	83,59,92,274	**6,25,843**	83,66,18,117

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.